

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1208 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: सितम्बर, 30, 2019

सेवामें,

मैनेजर-ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
हाउस नं०- बी-218, सिगमा-1,
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश-201310।

विषय:- 765 के०वी० एस०/सी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति से अवगत कराने सम्बन्धी।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक GTL/Feb/Forest/2019/60 dated 25.02.2019 एवं GTL/Sep/Forest/296 dated 18.09.2019

उपरोक्त विषयक मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज एवं इगलास रेंज द्वारा आपके प्रतिनिधि के साथ दिनांक 03.04.2019 एवं 28.09.2019 को किया गया, निरीक्षण के उपरान्त निम्न प्रकार भूमि की वैधानिक स्थिति अथवा Demarcation of notified and non-notified forest area का विवरण निम्न प्रकार है।

S.no.	Proposed roads	Area (in ha.)	Notified/Non notified	Affected trees
1	SH-22A(Palwal-Aligarh) Near Village Andla	0.1359	Protected Forest (Notified)	24
2	Ganga Canal (Mant Branch) Near Village- Utwara	0.2664	Protected Forest (Notified)	16
3	Aligarh Mathura Road Km 13 BB	0.1441	Protected Forest (Notified)	24
4	Khair- Somna Road km 06	0.1441	Non-Protected (Non notified)	11
5	Gonda Aligarh Road km 12	0.1441	Non-Protected (Non notified)	7
	Total-	0.8346		82

(टी०एन० सिंह)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज को उनके पत्रांक 153/14-1 दि० 09.04.2019 एवं 44/14-10 दि० 27.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज को उनके पत्रांक 52/14-1 दि० 10.04.2019 एवं 22/14-10 दि० 30.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(टी०एन० सिंह)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।



NAVNEET CHADDA
KANPUR

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 1032/14-1

दिनांक, एटा, सितम्बर, 04-10-2019

सेवा में,

✓ प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लाइन,
765 के0वी0 सिंगल सर्किट,
नोयडा।

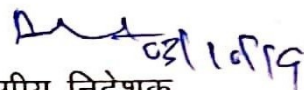
विषय: संयुक्त निरीक्षण।

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक दिनांक रहित।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, जलेसर के पत्रांक-21/14-1 दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराना है कि पारेषण लाइन 765 के0वी0 सिंगल सर्किट जलेसर-आगरा मार्ग के कि0मी0 37 - 38 के मध्य से क्रास हो रही है। शासन द्वारा उक्त मार्ग को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

भवदीय,


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, जलेसर को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक 96/164 फिरोजाबाद: दिनांक: सितम्बर 27-9, 2019।

सेवा में

प्रबन्धक,

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,

बी0 218 सिग्मा-1 गोमतबुद्धनगर, उ0प्र0

विषय:- आगरा से नोयडा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट लाइन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय की पत्र सं0- 290/14-1 दिनांक 09.08.2019.

महोदय,

विषयक प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी टूण्डला से टूण्डला रेंज के पड़ने वाले प्रभावित संरक्षित क्षेत्र का दिनांक 13.9.2019 पुनः संयुक्त निरीक्षण कराया गया। जिसमें इस कार्यालय की पत्र सं0 290/14-1 दिनांक 09.08.2019 द्वारा पूर्व की प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार टूण्डला रेंज के अन्तर्गत 0.38448 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं फिरोजाबाद रेंज के अन्तर्गत 0.6189650 हे0 आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा 17 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आप अवगत ही होंगे कि संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से एवं टी0टी0 जेड क्षेत्र में वृक्षों के घातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य है।

अतः आप उपरोक्तानुसार संरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की वेब साइट <http://Parivesh.Nic.IN> पर ऑन लाइन आवेदन करें ताकि आपके प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा साथ में 3 प्रतियों का प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(उमा शंकर दोहरे)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक:- 1086/14-1, हाथरस

दिनांक: अक्टूबर, 4, 2019

सेवा में,

मैनेजर ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
हाउस नं०-बी-218, सिगमा-1
गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०।

विषय :- 765 के०बी० एस०/सी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति से अवगत कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक: GTL/Feb/Forest/2019/61 दिनांक 27.02.2019 एवं GTL/Sep/Forest/297 दिनांक 20.09.2019

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयान्तर्गत मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, सादाबाद एवं हाथरस द्वारा आपके प्रतिनिधि के साथ दिनांक 01.05.2019, 08.04.2019 एवं दिनांक 01.10.2019 को किया गया, उनकी निरीक्षण आख्या/जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि की वैधानिक स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	प्रस्तावित मार्ग	प्रभावित क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की वैधानिक स्थिति	प्रभावित वृक्ष
1	आगरा-अलीगढ़ मार्ग किमी० 179 दोनों पटरी	0.213888	संरक्षित वन भूमि	30
2	बरेली-मथुरा मार्ग किमी० 216 बांयी पटरी	0.0726	संरक्षित वन भूमि	04
3	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम मैण्डू के पास	0.510272	संरक्षित वन भूमि	40 पौधे
4	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम लाड़पुर के पास	0.2915	संरक्षित वन भूमि	55 पौधे
5	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम जाफराबाद के पास	0.2784	संरक्षित वन भूमि	35 पौधे
6	गंगा कैनाल (नहर हाथरस ब्रांच मील) ग्राम उधैना के पास	0.13408	संरक्षित वन भूमि	50 पौधे
7	बरेली-मथुरा मार्ग किमी० 216 दांयी पटरी (रेलवे क्रॉसिंग)	0.0896	संरक्षित वन भूमि	06
8	हाथरस किला से हाथरस जंक्शन रेलवे क्रॉसिंग	0.1184	संरक्षित वन भूमि	—
	योग	1.70874		40 वृक्ष एवं 180 पौधे

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन कर प्रस्ताव 6 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एम०के० शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक: /14-, दिनांकित

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय वनाधिकारी, हाथरस एवं सादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

05.10.2019
KANPUR
NAVEET CHADDA

(एम०के० शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई-1 सैक्टर-1 नोएडा।
पत्रांक 72/14-1 गौतमबुद्धनगर दिनांक 3-6-2019।

सेवा में,

प्रबन्धक,

मकान सं0-बी- 218, सिग्मा-1,

गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

विषय:-

आगरा से गौतमबुद्धनगर तक प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाईन के सरंखन मे आ रहे वन क्षेत्र का चिन्हांकन की जाँच रिपोर्ट।

सन्दर्भ:-

आपका पत्र सं 64 दिनांक 13-03-2019।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम मे आगरा से गौतमबुद्धनगर तक प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाईन के सरंखन मे आ रहे क्षेत्र की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्दाबाद से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्दाबाद कार्यालय के पत्रांक 326/14-1 दिनांक 25-4-2019 द्वारा जाँच रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित की गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्दाबाद की जाँच रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित ट्रान्समीशन लाईन के निर्माण मे अधिसूचित आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र नही है।

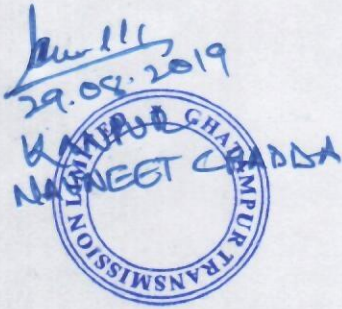
भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्दाबाद कार्यालय को उनके पत्रांक 326/14-1 दिनांक 25-4-2019 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फिरोजाबाद ।

पत्रांक ११० / 14-1 फिरोजाबाद दिनांक: अगस्त ९, 2019

सेवा में,

ट्रांसमिशन

घाटमपुर ट्रांसमिशन लि०

वी 2018 सिग्मा-1 गौतमबुद्ध नगर
उ०प्र०

विषय —आगरा से नोयडा 765 के०वी० सिग्नल सर्किट निर्माण में प्रभावित वनभूमि

सन्दर्भ—आपकी पत्र सं०G.T.L./FZD/ FOREST /2019/56 दिनांक 23.02.2019

महोदय

उपराक्तो सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय वनाधिकारी टूण्डला एवं फिरोजाबाद से करायी गयी क्षेत्रीय वनाधिकारी टूण्डला एवं फिरोजाबाद की क्रमशः जाँच रिपोर्ट के अनुसार 0.38448 हे० सरक्षित वन भूमि एवं 0.618981 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 17 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आप अवगत हैं कि सरक्षित/आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से टीटी जेड में वृक्षों के पातन हेतु सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य है अतः आप उपरोक्तानुसार सरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की बैबसाइट <https://pravesh.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन करें। ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा प्रस्ताव इस कार्यालय को 6 प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

29.08.2019
NAVAJEE CHADDA
GHATAMPUR
TRANSMISSION

(उमा शंकर दोहरे)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा
पत्रांक 4287 / 14-1 एटा, दिनांक, मई, 10, 2019
सेवा में,

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि०,
हाउस नं०- बी- 218, सिगमा- 1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर,
उ०प्र०।

विषय:- 765 के०वी०एस०सी० आगरा-ग्रेटर नोएडा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण में
एटा-अलीगंज मार्ग के क्रमिक चैनेज 10 व 11 के मध्य प्रभावित संरक्षित वन
भूमि के सम्बन्ध में।

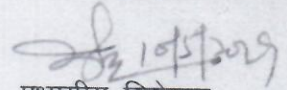
संदर्भ:- आपका पत्रांक- जी०टी०यू०पी०फॉरेस्ट/2019/54

महोदय,

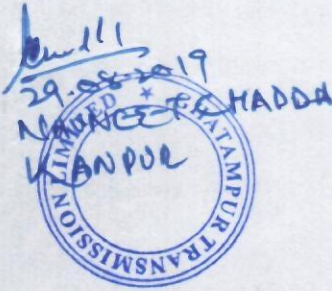
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एटा-अलीगंज
मार्ग राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित है। जिसमें उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित
होने वाली भूमि 0.11215 हे० X 2 (दोनों पटरी) = 0.2243 हे० तथा दौंयी पटरी पर 23 वृक्ष व
11 पौधे बौंयी पटरी पर 5 वृक्ष व 4 पौधे कुल 28 वृक्ष व 15 पौधे प्रभावित होंगे। उक्त भूमि के
ऊपर से सम्बन्धित ट्रांसमिशन लाइन को निकालने से पूर्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक है।

अतः अवगत कराना है कि 0.2243 हे० भूमि के हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन
क्लीयरेंस पोर्टल 'परिवेश' पर आवेदन करने का कष्ट करें। जिससे कि उक्त प्रस्ताव को
प्रेषित/स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।



कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक-4155 /14-1, बुलन्दशहर, दिनांक, 29 मार्च, 2019

सेवा में,

सहायक प्रबन्धक,
ट्रान्समिशन, धाटमपुर ट्रान्समिशन लि०,
न०-बी-218 सीगमा-1,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:- आगरा से ग्रेटर नोएडा तक 765 के०वी० एस/सी ट्रान्समिशन लाईन डालने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र सं० जी०टी०एल०/फरवरी/फारेस्ट/2019/62 दिनांक 27.02.2019।

सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, खुर्जा से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, खुर्जा ने अवगत कराना है कि ट्रान्समिशन लाईन खुर्जा-जैवर मार्ग किमी० 16 को कास करेगी। खुर्जा-जैवर मार्ग संरक्षित वन भूमि है। संरक्षित वन भूमि के उपयोग तथा बाधक वृक्षों के पातन हेतु आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी, जिस हेतु आपको भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव भेजने होंगे। यदि आपको खुर्जा-जैवर मार्ग किमी० 16 को कास करते हुए ट्रान्समिशन लाईन डालनी है, तो आप इस हेतु [www. forest clearance. nic.in](http://www.forestclearance.nic.in) पर ऑनलाईन कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एन०पी० उपाध्यक्ष)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3676 /14-10, अलीगढ़: दिनांक: अप्रैल 25, 2019

सेवामें,

मैनेजर-ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
हाउस नं०- बी-218, सिगमा-1,
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश-201310।

विषय:- 765 के०वी० एस०/सी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि की
वैधानिक स्थिति से अवगत कराने सम्बन्धी।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक GTL/Feb/Forest/2019/60 dated 25.02.2019

उपरोक्त विषयक मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज एवं इगलास रेंज द्वारा आपके प्रतिनिधि के साथ दिनांक 03.04.2019 को किया गया, निरीक्षण के उपरान्त निम्न प्रकार भूमि की वैधानिक स्थिति अथवा Demarcation of notified and non-notified forest area का विवरण निम्न प्रकार है।

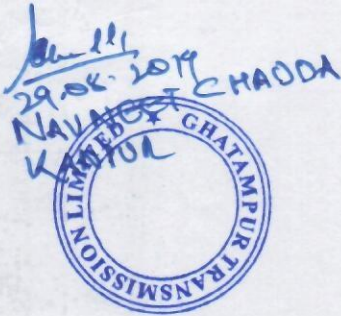
S.no.	Proposed roads	Area (in ha.)	Notified/Non notified	Affected trees
1	SH-22A(Palwal-Aligarh) Near Village Andla	0.1359	Protected Forest (Notified)	24
2	Ganga Canal (Mant Branch) Near Village- Utwara	0.2664	Protected Forest (Notified)	16
3	Aligarh Mathura Road Km 13 BB	0.1441	Protected Forest (Notified)	24
	Total-	0.5464		64

(एस०डी० त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज को उनके पत्रांक 153/14-1 दि० 09.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास रेंज को उनके पत्रांक 52/14-1 दि० 10.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



(एस०डी० त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

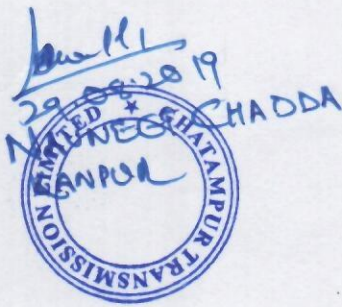
कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा
पत्रांक: 842 / 141 आगरा : दिनांक : 14-8, मई, 2019
सेवा में,

प्रबन्धक (ट्रांसमिशन)
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि०
बी-218 शिगमा-1
गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

विषय : आगरा-ग्रेटर नोएडा 765 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ : आपका पत्रांक-55 दिनांक 23.02.2019.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद ने अपने पत्रांक-16/14-1 दिनांक 10.08.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त लाइन के निर्माण में प्रस्तावित स्थल नगला मावई की 0.269429 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 2017 वृक्षारोपण का 0.269429 हे० क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। आप अवगत ही हैं कि संरक्षित/आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है।

अतः आप उक्तानुसार प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट <http://parivesh.nic.in> पर ऑन लाइन आवेदन करें ताकि आपके प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
पत्रांक 661 / 14-1 आगरा : दिनांक : 6, अगस्त 2019

Email ID : dfoagar@gmail.com

सेवा में,

प्रबन्धक(ट्रांशमिशन)
घाटमपुर ट्रांशमिशन लि०
बी-218 शिगमा-1
गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

विषय : आगरा-ग्रेटर नोएडा 765 के०वी० ट्रांशमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।
संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 16.04.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, एत्मादपुर से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी एत्मादपुर ने अपने पत्रांक-25/14-1 दिनांक 20.07.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त लाइन के निर्माण में एत्मादपुर रेंज की 0.3268 है० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 26 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आप अवगत ही होंगे कि संरक्षित/आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमति एवं टी०टी०जैड० क्षेत्र में वृक्षों के पातन हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।

अतः आप उक्तानुसार संरक्षित क्षेत्र में गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की वेबसाइट <http://parivesh.nic.in> पर ऑन लाइन आवेदन करें ताकि आपके प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

21.08.2019
MANEET CHADDA
KATAPUR
TRANSMISSION LINE
GHATAMPUR